राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 118वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 118वीं बैठक दिनांक 25/02/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 117वीं बैठक दिनांक 30/12/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 117वीं बैठक दिनांक 30/12/2021 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 392वीं, 393वीं, 394वीं, 395वीं, 396वीं एवं 397वीं बैठक क्रमशः दिनांक 10/01/2022, 11/01/2022, 12/01/2022, 24/01/2022, 25/01/2022 एवं 27/01/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स श्री गणेश कुमार जायसवाल (रामनगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट), ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1425)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 179769/2020, दिनांक 20/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1259/2, 3, कुल क्षेत्रफल – 0.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 840.75 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति (सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामचन्द्र जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर का दिनांक 23/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में सचिव का हस्ताक्षर नहीं है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/906/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/92/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 07/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/92/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री गणेश कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 03 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2013 से 17/09/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 27 वर्षों की, दिनांक 18/09/2016 से 17/09/2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1259/2 श्री उमाशंकर जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 1259/3 श्री रामचन्द्र जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./3138 अम्बिकापुर, दिनांक 06/08/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रामनगर 1.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–रामनगर 1.35 कि.मी. एवं अस्पताल गोरखनाथपुर 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14,282 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 9,187 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,268 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 356.01 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की उंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	840

द्वितीय	840
तृतीय	835
चतुर्थ	841
पंचम	841

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छष्टम	841
सप्तम	841
अष्ठम	841
नवम	841
दशम	708

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर/ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 78 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3, कुल क्षेत्रफल– 0.9 हेक्टेयर, क्षमता–840.75 घनमीटर (4,51,550 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1114/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/12/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
दिनांक 18/09/2013 से दिनांक 31/12/2013 तक	निरंक	निरंक
2014	1137.25	5,80,000
2015	1529.41	7,80,000
2016	803.92	4,10,000
2017	882.35	4,50,000
2018	627.45	3,20,000
2019	823.52	4,20,000
2020 (दिनांक 30/09/2020 तक)	392.15	2,00,000

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School Adrapara, **Village – Ramnagar**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.15
			Total	**0.75**

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता–840.75 घनमीटर (4,51,550 नग) प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 04/12/2020 द्वारा वर्ष 2017 में 882.35 घनमीटर (4,50,000 नग) प्रतिवर्ष एवं इसी प्रकार वर्ष 2020 (दिनांक 30/09/2020 तक) में 392.15 घनमीटर (2,00,000 नग) प्रतिवर्ष उत्खनन किया जाना बताया गया है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/12/2019 तक वैध थी। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 19/12/2019 से उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति (सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1114/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/12/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन (वित्तीय वर्ष में) की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में जो आंकड़ें जिस ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से प्रस्तुत किये गये थे, उसी ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से वर्तमान में परिवर्तित आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार एक ही ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से भिन्न–भिन्न उत्खनन आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। उक्त विसंगतियों के संबंध में लेख करते हुए कलेक्टर को उचित कार्यवाही के लिए सूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया जाना होगा।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (सरपंच व सचिव के सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. कलेक्टर, जिला–सूरजपुर को एक ही क्रमांक एवं दिनांक द्वारा जारी दो अलग–अलग पत्रों के संबंध में जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्षवार प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/09/2021 को आवेदित प्रकरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

(द) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/09/2021 द्वारा आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मजरकट्टा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी), ग्राम–मजरकट्टा, तहसील व जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1725)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218156/2021, दिनांक 05/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मजरकट्टा, तहसील व जिला–गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मजरकट्टा का दिनांक 26/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3045/खनि 02/सा.रेत/उ.यो.अनु./न.क.18/2021 नवा रायपुर, दिनांक 29/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 56/खनि./न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 55/खनि./न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय

राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 348/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 22/06/2021 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भिलाई 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–भिलाई 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल गरियाबंद 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 1 कि.मी. की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 298 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 199 मीटर, न्यूनतम 185 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 107 मीटर, न्यूनतम 105 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 57 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.89 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 16/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Middle School, **Village- Majarkatta**	
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Total	**1.05**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2021 एवं 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./अभिमत/2767 गरियाबंद, दिनांक 26/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./205 गरियाबंद, दिनांक 12/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व की सीमा से 34 कि.मी. की दूरी पर है।
3. एल.ओ.आई. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी के नाम पर है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5839/खनि 02/रेत(Rule7)/न.क्र.38/1996 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/11/2021 द्वारा वैधता वृद्धि जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात् दिनांक 15/03/2022) हेतु वैध है।
4. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, मजरकट्टा में 04 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण, रेन वॉटर हार्वेटिंग के लिए गारलेंड ड्रेन निर्माण तथा स्कूल स्थल में फेंसिंग कर वृक्षारोपण का कार्य किए जाने हेतु प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, मजरकट्टा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मजरकट्टा) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख–रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशाय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मजरकट्टा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–मजरकट्टा, तहसील व जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.89 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से

02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स मजरकट्टा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–मजरकट्टा, तहसील व जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.89 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज (पार्टनर– श्री राणा अरुण कुमार सिंह), ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1718)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 216941/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.788 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–35,132 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज पटेल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि तकनीकी समस्या होने एवं वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/09/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **तत्समय सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2021 के माध्यम से आवेदित प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

(द) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2021 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अनुमोदित माईनिंग प्लान के उत्पादन में परिवर्तन किये जाने के कारण आवेदित प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स देवपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गगन नाहटा), ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1528)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /192989/2021, दिनांक 20/01/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/01/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/03/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 4,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 370वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गगन नाहटा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर, क्षमता–12,150 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–धमतरी द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 1,000 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 940/खनिज/उत्पा./2021 धमतरी, दिनांक 24/05/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिसम्बर, 2016	386
2017	5,384
2018	7,036
2019	8,140
2020	7,000
1 जनवरी, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक	4,150

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवपुर का दिनांक 01/05/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 947/खनिज/उत्ख.यो. अनु/उ.प./2020–21 कांकेर, दिनांक 05/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 96/खनिज/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 28/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 96ए/खनिज/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 28/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है एवं लीज श्री गगन नाइट के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2013 से 01/05/2023 तक की अवधि हेतु वैध है, जिसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/05/2023 से 01/05/2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के पृ. क्रमांक/मा.चि./आर/1319 धमतरी, दिनांक 05/03/2003 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवपुर 0.7 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–देवपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.53 कि.मी. दूर है। बलका नदी 0.26 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 41,83,290 टन एवं माईनेबल रिजर्व 16,18,461 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,570 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 50 मीटर (40 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 0.183 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,95,274
द्वितीय	4,00,064
तृतीय	4,22,145
चतुर्थ	4,00,004

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
66	2%	1.32	Following activities at Government Middle School, **Village – Devpur**	
			Rain Water Harvesting System	1.75
			Plantation	0.25
			Total	**2.00**

16. यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गगन नाहटा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 29/11/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 10, 11, 17,

एवं 19) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 6 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 12, 20, 26, 30 एवं 31) का पालन नहीं किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–धमतरी द्वारा जारी विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन एवं नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उपरोक्त उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का मत है कि ऑनलाईन आवेदन में उल्लंघन का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त टीप अनुसार आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त करते हुये उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

- उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III [ई138949], दिनांक 28/01/2022 द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है।

- प्राधिकरण का मत है कि उल्लंघन के प्रकरणों हेतु उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित प्रकरण पर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता (पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन), ग्राम–पेण्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 720)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 63780/2018, दिनांक 09/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/07/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 09/06/2021 को प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा आवेदक – मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता (पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन) की ग्राम–पेण्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–6.683 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 254/8 एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में ग्राम–पेण्ड्रीडीह के स्थान पर ग्राम–नरदहा में संशोधन चाहा गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, जारी टी.ओ.आर. पत्र एवं फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा **पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, एल.ओ.आई., अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में टंकन त्रुटिवश ग्राम–पेण्ड्रीडीह के स्थान पर ग्राम–नरदहा का उल्लेख हो गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा **टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2 में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख किया गया था। साथ ही यह भी पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा **पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, एल.ओ.आई., अनुमोदित माईनिंग प्लान, कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों एवं तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु किये गये आवेदन को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259"

के स्थान पर

"खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259"

पढ़ा जाये।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में लिपकीय त्रुटिवश उल्लेखित "ग्राम–नरदहा" **के स्थान पर** "ग्राम–पेण्ड्रीडीह" **पढ़ा जाये।**

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशय बाबत् संशोधन जारी करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें यथावत् रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

6. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद को जारी विधिवत् नोटिस के संबंध में।

प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2021 को संपन्न 110वीं बैठक के अनुसार एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/09/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विधिवत् नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 952/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./2021 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/06/2021 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 923/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. /2018 नया रायपुर, दिनांक 12/09/2016 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने बाबत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को अपना पक्ष नोटिस प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त नोटिस के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/08/2021 (प्राप्ति दिनांक 16/08/2021) द्वारा उत्तर / पक्ष लिखित में प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/09/2021 को संपन्न 115वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती, नोटिस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर / पक्ष का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति** से नोटिस के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त लिखित उत्तर / पक्ष का तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही बाबत् उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति द्वारा उक्त नोटिस (एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 923/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./2018 नया रायपुर, दिनांक 12/09/2016 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने बाबत् कारण बताओ नोटिस) के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/08/2021 द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर / पक्ष का अवलोकन किया गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान से गोमर्डा अभयारण्य की सीमा 01 कि.मी. से अधिक है एवं इसके आधार पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु कोई भी कानून नहीं है। इस परिपेक्ष्य में समिति द्वारा निम्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया:–

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 02/12/2009 में फॉरेस्ट लेण्ड तथा वाइल्ड लाईफ हेबिटेट में शामिल क्षेत्र के प्रस्तावों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की प्रकिया निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार फॉरेस्ट लेण्ड एवं वाइल्ड लाईफ हेबिटेट शामिल प्रस्तावों तथा / और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित होने की दशा में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निम्न प्रावधान किया गया था–

   "..... while granting environment clearace to projects involving forestland, wildlife habitat (core zone of elephant/tiger reserve etc.) and or located within 10 km of the National Park Wildlife Sanctuary (at present the distance of 10 km has been taken in conformity with the order dated 04/12/2006 in writ petition no 460 of 2004 in the matter of Goa foundation Vs Union of India), a specific condition shall be stipulated that the environment clearace is subject to their obtaining prior clearance from forestry and wildlife angle including clearance from the Standing Committee or the National Board for wildlife as applicable...."

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/08/2019 द्वारा पूर्व में जारी उक्त निर्देश को अधिक्रमित करते हुये 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र स्थित होने पर डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की प्रकिया निर्धारित की गई है। जिसमें डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त उत्खनन परियोजनाओं हेतु भी निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्खनन परियोजनाओं या राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के सीमा से 01 कि.मी. के भीतर (जो भी अधिक हो) उत्खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

2. गठित जांच समिति के प्रतिवेदन एवं समिति के परीक्षण के आधार पर खदान की सीमा एवं गोमर्डा अभयारण्य की सीमा की दूरी 01 कि.मी. से कम होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं किया जा सकता है। अतः जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

3. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद में अन्य 2 खदानों यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल की खदानों की सीमा एवं गोमर्डा

अभयारण्य की सीमा की दूरी बाबत् जानकारी हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः समिति का मत है कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2019 द्वारा खदान की उत्खनन क्षमता विस्तार (60,006 टन से 5,56,500 टन) के लिए जारी स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) को निरस्त किये गये आवेदन में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1883/क./ख.नि./न.क्र./2017 महासमुंद, दिनांक 09/11/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल, क्षेत्रफल 23.86 हेक्टेयर होना बताया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद में अन्य 2 खदानें यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विधिवत् नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/09/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

2. ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद में अन्य 2 खदानें यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विधिवत् नोटिस जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार खनिज विभाग द्वारा किये गये कार्यवाही के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में की गई कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ को भी पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद में अन्य 2 खदानों यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल की खदानों की सीमा एवं गोमर्डा अभयारण्य की सीमा की दूरी बाबत् जानकारी हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती जमुना बाई पाडे), ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1735)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218144/2021, दिनांक 02/12/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 247/16, कुल क्षेत्रफल – 0.951 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 247/16, कुल क्षेत्रफल – 0.951 हेक्टेयर, क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 04/01/2017 से 31/03/2017	निरंक
2017–18	1,237
2018–19	2,000
2019–20	757.2
2020–21	1,822.4

v. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/01/2017 से दिनांक 5 वर्ष हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी अनुसार वर्ष 2018–19 में 2,000 घनमीटर एवं वर्ष 2020–21 में 1,822.4 घनमीटर का उत्पादन किया गया है। जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त से अधिक है। अतः उक्त प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सांवतपुर का दिनांक 09/12/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1234/ख.नि./तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 25/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 रेत खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्रीमती जमुना बाई पाडे के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/10/2012 से 29/10/2042 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खजुरी 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–खजुरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल सरगांव 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,020 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 16,190 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 405 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 950 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500	षष्टम	1,500
द्वितीय	1,500	सप्तम	1,500
तृतीय	1,500	अष्टम	1,500
चतुर्थ	1,500	नवम	1,500
पंचम	1,500	दशम	1,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.56 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 194 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. लीज क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर शिवनाथ नदी है। समिति का मत है कि शिवनाथ नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखा जाना आवश्यक है। अतः शिवनाथ नदी से लीज क्षेत्र की तरफ अतिरिक्त 50 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः उक्त का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–मुंगेली द्वारा जारी विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन एवं नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उपरोक्त उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का मत है कि ऑनलाईन आवेदन में उल्लंघन का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

19. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्पादन क्षमता 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक यथा वर्ष 2018–19 में 2,000 घनमीटर एवं वर्ष 2020–21 में 1,822.4 घनमीटर अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त टीप अनुसार आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

- उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III [ई138949], दिनांक 28/01/2022 द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है।

- प्राधिकरण का मत है कि उल्लंघन के प्रकरणों हेतु उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित प्रकरण पर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री गिरवर अग्रवाल), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1785)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 67106/2021, दिनांक 30/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 804/1, 804/2, 805, 800/5क, 800/5ख, 806 एवं 807, कुल क्षेत्रफल– 4.007 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरवर अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज एवं प्रकरण में तकनीकी त्रुटियां होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उनके द्वारा आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अकलसरा का दिनांक 21/07/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5635/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.न. 04/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1036/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.997 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1037/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–13/2011/12 नवा रायपुर, दिनांक 21/10/2020 द्वारा जारी की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 805 (क्षेत्रफल 0.595 हेक्टेयर) शासकीय भूमि है। खसरा क्रमांक 804/2 (क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर) श्रीमती कान्तादेवी एवं खसरा क्रमांक 807 (क्षेत्रफल 1.129 हेक्टेयर) श्री दौलत राम के नाम पर है। शेष भूमि खसरा क्रमांक 804/1 (क्षेत्रफल 0.049 हेक्टेयर), 800/5क, 800/5ख, (क्षेत्रफल 0.971 हेक्टेयर) तथा खसरा क्रमांक 806 (क्षेत्रफल 0.454 हेक्टेयर) आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल, चांपा से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकलसरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। सोन नदी 6.5 कि.मी. एवं बोराई नदी 6.5 कि.मी. दूर है। तालाब 0.94 कि.मी. एवं नहर 0.825 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 29,55,162 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 9,27,304 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 8,67,401 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,700 वर्गमीटर है।

ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,950 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	47,668	षष्टम	25,000
द्वितीय	68,400	सप्तम	25,000
तृतीय	2,47,950	अष्टम	25,000
चतुर्थ	49,875	नवम	25,000
पंचम	49,875	दशम	25,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.55 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 939 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। गैर माईनिंग क्षेत्र में 1,644 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला है। समिति का मत है कि बरसाती नाला से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखा जाना आवश्यक है। अतः लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 50 मीटर की दूरी तक कुल 14,800 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया जाने हेतु सूचना दिनांक 28/09/2021 को प्रेषित की गई।

18. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1036/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.997 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकलसरा) का रकबा 4.007 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकलसरा) को मिलाकर कुल रकबा 26.004 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   iii. Project proponent shall submit the recent Gram Panchayat NOC for mining.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for usage of water.

   v. Project proponent shall submit the readable copy of forest NOC.

   vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

   ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

9. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रकाश बजाज), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1788)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 227197/2021, दिनांक 01/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1972, 1980 एवं 1982, कुल क्षेत्रफल–2.744 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–53,046.88 टन (21,218.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण को वापस लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्द्रसेन भांडेकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1809)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 228346/2021, दिनांक 08/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 226, कुल

क्षेत्रफल–0.25 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–963.75 टन (385.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 को सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्द्रसेन भांडेकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1810)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 228253/2021, दिनांक 08/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 187/1, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 को सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स माईन (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1446)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57836/2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/11/2021 के माध्यम से प्रकरण में नेबेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/11/2021 के माध्यम से प्रकरण में नेबेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. टी.ओ.आर. के आधार पर अधिकृत नेबेट सलाहकार मेसर्स इन्व्हायरोमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को जन सुनवाई संपन्न कराने हेतु जमा करने के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिला–रायपुर द्वारा लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2021 को संपन्न कराई जा चुकी है।
2. नेबेट सलाहकार मेसर्स इन्व्हायरोमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा अपरिहार्य कारणों से इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त किया गया है एवं प्रकरण में आगामी कार्यवाही को किसी अन्य नेबेट सलाहकार के माध्यम से संपादित करवाने हेतु अपना अनापत्ति पत्र भी प्रेषित किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/10/2021 को मेसर्स एसिरिज इन्फ्रायरोटेक इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, नोएडा को नेबेट सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेबेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना बाबत् अनुरोध पत्र को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तुत अनुरोध को मान्य करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 829बी)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34758/ 2019, दिनांक 14/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34758/ 2019, दिनांक 04/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498, कुल क्षेत्रफल–5.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 04/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंडपेण्ड्री का दिनांक 31/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1219/खनि.लि./खनिज/2018 बालोद, दिनांक 05/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 387/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.28 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 147/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 07/05/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1807/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493 आवेदक, खसरा क्रमांक 494, 495 श्री दीना कुमार एवं खसरा क्रमांक 498 श्री धनेश दम्मानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा क्रमांक 496 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/1573 दुर्ग, दिनांक 30/03/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–फुंडा 3.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,38,000 टन, माईनेबल रिजर्व 12,49,176 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 11,24,258 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,122 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 58,408.5 घनमीटर में से 18,776 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण एवं शेष 33,812.5 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,000
चतुर्थ	60,000
पंचम	60,000

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	60,000
सप्तम	60,000
अष्टम	60,000
नवम	60,000
दशम	60,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 66.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.08 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 54.23 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.3 डीबीए से 43.24 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 04/02/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 08/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है।

ii. ब्लास्टिंग से आस–पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्रशर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. ब्लास्टिंग कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। ब्लास्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती है। वर्तमान में 3 खदानों को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनमें से 2 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं शेष 1 खदान द्वारा आवेदन अप्राप्त है। शेष 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 2 खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (4 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (5,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,27,910/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 5,34,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. गांव के (2 कि.मी.) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (200 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रथम वर्ष एवं आगामी दो वर्षों तक रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 30,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,08,23,910/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 35,07,910/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 18,44,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 18,14,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 12,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 7,21,000/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,42,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 41,89,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 10,61,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- आगामी चार वर्षों के लिए डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,82,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VI. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 3,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त 19 खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
115	2%	2.30	Following activities at nearby Government High Schools, **Village-Gondpendri**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Solar Panel with light facility	0.80
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.30
			Total	**2.50**

23. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अपेंडिक्स–1, फॉर्म–2, प्री–फीजिबीलिटी रिपोर्ट, जारी स्टैण्डर्ड टीओआर, लोक सुनवाई दस्तावेज, फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498 का उल्लेख किया गया है, जबकि एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान में खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 का उल्लेख है।

24. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–स्वामित्व दस्तावेज में खसरा क्रमांक 498 का उल्लेख नहीं किया गया है तथा भूमि स्वामियों द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजाना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजाना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 497 के स्थान पर टंकन त्रुटिवश खसरा क्रमांक 496 का उल्लेख होना बताया गया है। आवेदित प्रकरण का कुल क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेयर ही लीज स्वीकृत की गई है। उक्त बाबत् खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

2. कुल आवेदित क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेयर में कोई भी परिर्वतन नहीं होना बताया गया है। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. भूमि खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493 आवेदक, खसरा क्रमांक 494, 495 श्री दीना कुमार, खसरा क्रमांक 497 श्री सुनील कुमार एवं खसरा क्रमांक 498 श्री धनेश दम्मानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् समक्ष माननीय न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन में भी खसरा क्रमांक 497 का उल्लेख है। अतः खसरा क्रमांक 496 के स्थान पर खसरा क्रमांक 497 पढ़े जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1807/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 60/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 12/11/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30.06.2020) के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम, 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग** को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 387 / खनि.लि. 02 / खनिज / 2021 दुर्ग, दिनांक 18 / 06 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) का रकबा 5.04 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 40.392 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन की ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–5.04 हेक्टेयर, क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25 / 02 / 2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन की ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–5.04 हेक्टेयर, क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स सिरिसगुड़ा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री देवेश भदौरिया), ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1874ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 70160 / 2021, दिनांक 17 / 12 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 481, 482 एवं 483, कुल क्षेत्रफल–1.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–37,500 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण वापस लिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स छिंदगांव लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ओंकार सिंह), ग्राम–छिंदगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1875ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 70171/2021, दिनांक 18/12/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छिंदगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1044/2 एवं 1044/4, कुल क्षेत्रफल – 2.142 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–62,500 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण वापस लिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स पुटीडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती सुमन बैरागी), ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1736)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220640/ 2021, दिनांक 18/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5, कुल क्षेत्रफल–1.149 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामेश्वर प्रसाद बैरागी, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पुटीडीह का दिनांक 06/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2495/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 23/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 504/ख.लि./न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 503/ख.लि./न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3877/गौण खनिज/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 11/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 श्री रामेश्वर बैरागी एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2898 चांपा, दिनांक 04/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पुटीडीह 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–पुटीडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,980 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 17,188 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 16,328

घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.064 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	900	9,00,000
द्वितीय	900	9,00,000
तृतीय	900	9,00,000
चतुर्थ	900	9,00,000
पंचम	900	9,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	900	9,00,000
सप्तम	900	9,00,000
अष्टम	900	9,00,000
नवम	900	9,00,000
दशम	900	9,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 379 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at	

			Government Janpad Primary School, **Village- Putidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Protable Drinking Water facility	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंचमार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण हेतु किया जाएगा।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./6793 चांपा, दिनांक 04/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 27.23 कि.मी. की दूरी पर है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 504/ख.लि./न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पुटीडीह) का रकबा 1.149 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पुटीडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती सुमन बैरागी) की ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.149 हेक्टेयर, क्षमता – 900 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पुटीडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती सुमन बैरागी) की ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.149 हेक्टेयर, क्षमता – 900 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1142)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 50065/ 2020, दिनांक 22/01/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/67231/2020, दिनांक 03/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 55/1, कुल

क्षेत्रफल–6.98 हेक्टेयर (17.26 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/05/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स आईएनडी टेक हाउस कन्सलट, दिल्ली की ओर से श्री जे.के. मोईत्रा, ई.आई.ए. को–आर्डिनेटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–कन्हईबंध 1.6 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल नैला 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन नैला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। हसदेव नदी 9.5 कि.मी. की दूरी पर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कन्हईबंध का दिनांक 25/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **भूमि स्वामित्व** – यह शासकीय भूमि है। भूमि खसरा क्रमांक 55/1 का भाग का बटांकन पश्चात् खसरा क्रमांक 55/10 रकबा 6.709 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 55/11 रकबा 0.275 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 6.984 हेक्टेयर को सी.एस.आई.डी.सी. के ज्ञापन पृ. क्रमांक सीएसआईडीसी/भू–अर्जन/21/11163 रायपुर, दिनांक 21/12/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को आधिपत्य सौंपी गई है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Description	Area (acres)	Percentage (%)
1.	Washery Plant	3.452	20
2.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal & Rejcts	3.452	20
3.	Other Facilities (Internal	2.589	15

	Roads, WTP, Staff Quarters, etc.)		
4.	Plantation	7.767	45
	Total	**17.26**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.792 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से बॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। बॉशरी से वाश्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। परिसर के भीतर विल बॉशिंग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी, जिससे उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम होगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर कम से कम 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिसर के भीतर एवं पहुंच मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही निम्न अतिरिक्त उपाय किए जायेंगे:–

   I. उद्योग द्वारा कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस जैसे धुल उत्सर्जक इकाईयों की दूरी समीपस्थ रेल मार्ग से कम से कम 342 मीटर रखी जायेगी।

   II. उद्योग द्वारा परिसर के 45 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके तहत् चारों तरफ कम से कम 20 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

   III. उद्योग द्वारा प्रस्तावित बॉशरी की पश्चिम दिशा एवं रेलवे लाईन की तरफ कम से कम 25 मीटर ऊंचाई प्राप्त कर सकने वाली वृक्ष प्रजातियों का सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

   IV. उद्योग द्वारा पश्चिम दिशा में 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 3 मीटर उंची स्क्रीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा। साथ ही मुंबई–हावड़ा रेल मार्ग की ओर कम से कम 4 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 3 मीटर उंची स्क्रीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा

   V. रॉ–कोल अनलोडिंग स्टॉक यार्ड एवं प्रत्येक ट्रान्सफर प्वाईट पर डस्ट सप्रेशन हेतु रेन गन लगाया जाएगा।

   VI. उद्योग द्वारा संपूर्ण आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जायेगा। आंतरिक मार्गों की सफाई एवं जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा।

   VII. कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढक कर एवं सील लगे हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कव्हर्ड ट्रकों के माध्यम से समीपस्थ इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 3,680 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 03/09/2021 से 02/09/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

   - **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

     (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

     (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

9. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 20,469 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 तालाब 18,720 घनमीटर (लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गहराई 10 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा एवं सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ऊंचाई (10 मीटर) की चिमनी संलग्न की जाएगी।

11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 7.767 एकड़ (45 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से

कम 20 मीटर एवं 3 लेयर (प्रथम लेयर में अमलतास, करंज, सतवान आदि, द्वितीय लेयर में पेल्टाफार्म, नीम, गुलमोहर आदि तथा तृतीय लेयर में नीलगिरी, सिल्वर ओक आदि) में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। मुंबई–हावड़ा रेल लाईन की तरफ कम से कम 40 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 20.5 से 36.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 33.0 से 47.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.5 से 10.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.1 से 18.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 1.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 7.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.6 डीबीए से 52.0 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 39.4 डीबीए से 41.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1955 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 2,955 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 18/08/2021 प्रातः 10:30 बजे, स्थान – शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्हाईबंद/आदर्श प्राथमिक शाला कन्हाईबंद, ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. प्रस्तावित कोल वॉशरी स्थल आवासीय स्थल से लगा हुआ है, जिससे वॉशरी का विषैला धूल व धुआं घरों में प्रवेश करेगा, जिससे गांव के लोग गंभीर बिमारियों से ग्रसित होगें। साथ ही सिंचित दो फसली कृषि भूमि बंजर हो जायेगें।

ii. प्रस्तावित कोल वॉशरी हेतु वाहनों के आवागमन से रास्ते में स्कूल स्थित है, जिनके लिए मध्यान्ह भोजन तैयार किया जाता है, जो कि कोयले की डस्ट

के कारण से प्रदूषित हो जायेंगे, जिससे छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभावित होगी।

iii. गांव के तालाब में मछली पालन किया जाता है। अतः प्रदूषण के कारण से मछली मर जायेंगे एवं आस–पास के प्रदूषित पानी से खेत के फसल नष्ट हो जायेंगे।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि / कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तावित कोल वॉशरी आवासीय स्थल से लगभग 2 कि.मी. दूर है, वॉशरी वेट टाईप प्रोसेस पर आधारित होने के कारण कोई भी विषैला धूल व धुआं उत्पन्न नहीं होगा। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिसर के भीतर एवं पहुंच मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

ii. प्रस्तावित कोल वॉशरी स्कूल परिसर से 250 मीटर से 300 मीटर की दूरी पर है। स्कूल के मुख्य मार्ग से प्रस्तावित कोल वाशरी के भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

iii. उद्योग में शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। साथ ही उद्योग परिसर के बाहर जल का निस्तारण नहीं किया जाएगा। चूंकि औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अतः शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

15. सरपंच, ग्राम पंचायत कन्हाईबंद, बनारी, सिवनी, जर्वे, बोड़सरा के जन प्रतिनिधियों द्वारा लोक सुनवाई के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं करने के संबंध में आपत्ति जताये जाने हेतु दिनांक 24 / 09 / 2021 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार "दिनांक 18 / 08 / 2021 को ग्राम कन्हाईबंद में आयोजित लोक सुनवाई में ग्राम कन्हाईबंद में जन प्रतिनिधि आम जनता एवं ग्राम कन्हाईबंद से लगे ग्राम बनारी, सिवनी, जर्वे, बोड़सरा के जन प्रतिनिधि एवं आम जनता को लोक सुनवाई के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें समस्त जन प्रतिनिधिगण ने मौखिक एवं लिखित में पर्यावरणीय स्वीकृति पर आपत्ति प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जिला पंचायत प्रतिनिधि, जनपद पंचायत प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधिगण ने भी आपत्ति प्रस्तुत किये है।" आवेदन दिनांक 24 / 09 / 2021 के संदर्भ में समिति द्वारा विचार करते हुये यह पाया गया कि लोक सुनवाई दिनांक 18 / 08 / 2021 को ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को संज्ञान में लिया जा चुका है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
2200	2%	44	Following activities at nearby Government 11 Schools as per proposal	
			Rain Water Harvesting System	34.00
			Potable Drinking water Facility with 5 year AMC	3.85
			Running water facility for Toilets	2.58
			Plantation with fencing	3.57
			Total	**44.00**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–कन्हाईबंद, (2) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–ओराईकला, (3) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–मदवा, (4) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–जरवे, (5) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–सरखो, (6) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–जावलपुर, (7) शासकीय प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–बोडसरा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बनारी, (9) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–हरदी, (10) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–सिवनी एवं (11) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–पाली में किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 55/1 (बटांकन पश्चात् खसरा क्रमांक 55/10 एवं खसरा क्रमांक 55/11), कुल क्षेत्रफल – 6.98 हेक्टेयर (17.26 एकड़) में प्रस्तावित रॉ–कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 55/1 (बटांकन पश्चात् खसरा क्रमांक 55/10 एवं खसरा क्रमांक 55/11), कुल क्षेत्रफल – 6.98 हेक्टेयर (17.26 एकड़) में प्रस्तावित रॉ–कोल वॉशरी क्षमता – 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मेसर्स विनायक आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1746)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 65904/ 2021, दिनांक 22/07/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/09/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 26/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर (13.67 एकड़) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष (95 टन प्रतिदिन गुणा 2 नग), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 6 मेगावॉट (13.5 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नग) एवं एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नग) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–सरायपाली 0.15 कि.मी., ग्राम–पाली 0.55 कि.मी. एवं ग्राम–गेरवानी 0.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। केलो नदी 2.5 कि.मी. दूर है। उर्दना आरक्षित वन 0.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- तराईमल आरक्षित वन, उर्दना आरक्षित वन, पाझर आरक्षित वन, खरिडुंगरी आरक्षित वन, खेराडुंगरी आरक्षित वन, दुंगापानी आरक्षित वन, लाखा आरक्षित वन, बरकाछार आरक्षित वन, पूंजीपथरा आरक्षित वन 10 कि.मी. की परिधि में आते है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उद्योग परिसर के 15 कि.मी. के अंतर्गत यहां पर हाथियों की आवाजाही देखी गई है। समिति का मत है कि हाथियों के संरक्षण हेतु संरक्षण प्लान को ई.आई.ए. में समावेश किया जाना आवश्यक है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in Ha.)
1.	Plant Area	1.20
2.	Raw Material Storage yard	0.50
3.	Product Storage yard	0.40
4.	Solid Waste Storage yard	0.30
5.	Internal Roads	0.50
6.	Greenbelt Area	1.83
7.	Water Reservoir and RWH	0.10
8.	Parking Area	0.70
	Total	**5.53**

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स विनायक आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम पर है।

4. **रॉ–मटेरियल –**

S.No.	Raw Material		Quantity (In TPA)	Sources	Mode of Transport
1.	**DRI Kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA**				
a)	Iron ore		1,00,320	Barbil, Odisha NMDC, CG	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
b)	Coal	Indian	81,510	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
		Imported	52,166	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route, Rail & Road
c)	Dolomite		3,135	Raigarh	By Road (Through Covered Trucks)
2.	**FBC Boiler (Power Generation) - 8 MW**				
a)	Indian Coal		53,460	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
	OR				
b)	Imported Coal		34,268	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road
	OR				
c)	Dolochar		18,180	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Indian Coal		44,055	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
	OR				
d)	Dolochar		18,180	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Imported Coal		24,863	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road

5. **प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Unit (Product)		Capacity
1.	DRI Plants (Sponge Iron)		2 x 95 TPD (62,700 TPA)
2.	Power Plant (electricity)	WHRB Based	6 MW (2 x 13.5 TPH)
		FBC Based	8 MW (1 x 36 TPH)

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – परियोजना हेतु डीआरआई किल्न के साथ डब्ल्यु एचआरबी आधारित पॉवर प्लांट में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफबीसी बॉयलर में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। एस.ओ.2 की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। एन.ओ.एक्स (NOx) बर्नर में कमी हेतु तीन स्तरीय कम्बशन, फ्लू गैस रिसरक्युलेशन एवं ऑटो कम्बशन कंट्रोल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त हेतु चिमनी की उचाई की गणना का उल्लेख ईआईए में समावेश किया जाना आवश्यक है। साथ ही सभी ट्रांसफर पाइंट, क्रशिंग इंकाई आदि में ड्राई फौगिंग सिस्टम के साथ बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित हैं।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Quantity (In TPA)	Disposal
Ash from DRI	11,286	Will be given to brick manufacturers
Dolochar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
Kiln Accretion Slag	564	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Wet Scrapper Sludge	2,884	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Ash from power plant (with Indian coal + dolochar)	31,110	Ash generated is being given to cement Plants / brick Manufacturers

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना हेतु कुल 340 घनमीटर जल प्रतिदिन [डीआरआई किल्न में 50 घनमीटर प्रतिदिन, पॉवर प्लांट में 280 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर मेकअप में 135 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर मेकअप में 101 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन में 44 घनमीटर प्रतिदिन) एवं घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन] का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना हेतु जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। डीआरआई किल्न से उत्पन्न जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग (Closed circuit cooling system) हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित पॉवर प्लांट से दूषित जल की मात्रा 114 घनमीटर प्रतिदिन (पॉवर प्लांट से 106 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर ब्लोडाउन से 34 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर ब्लोडाउन से 28 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन से 44 घनमीटर प्रतिदिन) एवं सेनेट्री उपयोग से 8 घनमीटर प्रतिदिन) होगा। प्रस्तावित पॉवर प्लांट से दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

8. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 2.4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। कन्सट्रक्शन फेज के दौरान विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के दौरान विद्युत की आपूर्ति केप्टिव प्लांट क्षमता 14 मेगावॉट (एफबीसी आधारित 8 मेगावॉट एवं डब्ल्यूएचआरबी आधारित 6 मेगावॉट) से की जाएगी।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना से हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.83 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर, 2021 से 15 जनवरी, 2022 मध्य किया गया। उक्त की सूचना दिनांक 23/10/2021 को प्रेषित की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(डी) थर्मल पॉवर प्लांट्स एवं श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the certificate from forest department for nearest distance between forest boundary of RF and PF, orange area and also submit a certificate from DFO Raigarh.

ii. Project proponent shall submit the certificate from mining department for nearest distance between plant premises to nearest habitation.

iii. Project proponent shall submit the certificate from EE/ SDO PWD regarding distance between project site and nearest villages.

iv. Project proponent shall submit the certificate from concerned SDM regarding distance between project site and nearest villages.

v. Project proponent shall submit the details of ETP process flow chart along with drawing and design.

vi. Project proponent shall submit details of water balance chart & STP flow chart with process and proposal for maintaining zero discharge condition.

vii. Project proponent shall submit the details of stack height calculation.

viii. Project proponent shall submit the detailed calculation of pollution load (PM, SO_x, NO_x) of existing & proposed unit.

ix. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xi. Project proponent shall submit the certificate land document P-II khasra from revenue department duly certified by SDM/Tehsildar in original.

xii. Project proponent shall submit the details of alternative sites (if possible) and compare with each other.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. As elephant movement exist within the proposed premises, project proponent shall submit approved wildlife conservation plan from DFO Raigarh/forest department.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

19. मेसर्स ढोण्डरा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (टेम्परारी परमिट), (प्रो.– शैलेन्द्र बहादुर सिंह), ग्राम–ढोण्डरा, तहसील–कोण्टा, जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1794)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 227292 / 2021, दिनांक 01 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ढोण्डरा, तहसील–कोण्टा, जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 112, कुल क्षेत्रफल–3.488 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,503.57 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ढोण्डरा का दिनांक 02 / 10 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 465 / खनिज / उत्ख.यो. / 2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 25 / 08 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 237 / खनिज / कले. / 2021 सुकमा, दिनांक 28 / 08 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 237 / खनिज / कले. / 2021 सुकमा, दिनांक 28 / 08 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 229 / खनिज / अ.अनु. / 2021 सुकमा, दिनांक 18 / 08 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./2515 सुकमा, दिनांक 06/08/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 2 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–छोण्डरा 0.34 कि.मी., स्कूल ग्राम–कोण्टा 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कोण्टा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 40 कि.मी. दूर है। शबरी नदी 1.9 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,84,822 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,531 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,34,454 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,880 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (जिसमें से 9 मीटर पहाड़ी क्षेत्र) है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	85,503.57
द्वितीय	56,027.62

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी जनित नहीं होगा।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 112, रकबा 3.44 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,000 नग वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,00,000 रूपये, 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
30	2%	0.60	Following activities at Government Boys Hostal & Girls Hostal **Village-Konta & Bhejji**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.44
			Plantation with fencing	0.36
			Total	**1.40**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/1732/कार्य/सुकमा, दिनांक 21/06/2021 द्वारा श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह (परियोजना प्रस्तावक) से लोक निर्माण विभाग में निर्माणाधीन सड़कों के लिए गिट्टी उपलब्ध कराने बाबत् खनि अधिकारी, जिला–सुकमा को पत्र जारी किया गया है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 237/खनिज/कले./2021 सुकमा, दिनांक 28/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–ढोण्डरा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–ढोण्डरा) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा

से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स ढोण्डरा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (टेम्परारी परमिट), (प्रो.– शैलेन्द्र बहादुर सिंह) की ग्राम–ढोण्डरा, तहसील–कोण्टा, जिला–सुकमा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 112 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 85,503 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,34,454 टन से अधिक न हो) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. प्रस्तावित परियोजना से उत्खनित साधारण पत्थर को शासकीय कार्यों हेतु ही उपयोग किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स ढोण्डरा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (टेम्परारी परमिट), (प्रो.– शैलेन्द्र बहादुर सिंह) की ग्राम–ढोण्डरा, तहसील–कोण्टा, जिला–सुकमा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 112 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 85,503 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,34,454 टन से अधिक न हो) हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

20. मेसर्स डेराडीह सेण्ड माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार साहू), ग्राम–डेराडीह, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1807)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 228080/2021, दिनांक 07/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–डेराडीह, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 173, कुल क्षेत्रफल–4.4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–87,724 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नंदगांव का दिनांक 10/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1762/ख.लि.3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 28/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1764/ख.लि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 28/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1766/ख.लि. –3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल एनीकट एवं जल स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री मनोज कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 802/ख.लि.–3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./5040/2021/रायगढ़, दिनांक 26/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.26 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डेराडीह 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–डेराडीह 3 कि.मी. एवं अस्पताल खरसिया 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम

219 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 711 मीटर, न्यूनतम 710 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 64 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 96 मीटर, न्यूनतम 19 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 87,724 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 17/04/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.27	2%	0.70	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Deradih**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	0.35
			Total	**0.75**

16. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 219 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर है, जबकि खदान की नदी/तट के किनारे से दूरी अधिकतम 96

मीटर, न्यूनतम 19 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 138 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.386 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

18. प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) किया जाना है, परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत की मोटाई जानने के लिए रेत की खुदाई हेतु प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में जे.सी.बी. मशीन का उपयोग किया जाना पाया गया है। समिति का मत है कि इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाना है। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत की मोटाई जानने हेतु प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में जे.सी.बी. मशीन का उपयोग किया गया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अतः उक्त हेतु जिला खनि अधिकारी को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा भी की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत की मोटाई जानने हेतु प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में जे.सी.बी. मशीन का उपयोग किया गया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अतः उक्त हेतु जिला खनि अधिकारी को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक एवं जिला खनि अधिकारी को तदानुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स देवपुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री खेमेन्द्र नाथ साहू), ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1812)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67480/2021, दिनांक 09/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवपुर, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल–2.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,926.218 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेमेन्द्र नाथ साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवपुर का दिनांक 10/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 443/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1210/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1211/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। महानदी 150 मीटर एवं महानदी में निर्मित एनीकट 190 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 407/खनिज/ई–निविदा/टेंडर नंबर 68711/2020–21 धमतरी, दिनांक 24/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./जी/4912 धमतरी, दिनांक

01/09/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवपुर 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवपुर 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–देवपुर 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.3 कि.मी. दूर है। बलका नदी 0.2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 8,16,207 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 4,04,634 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,84,403 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,422 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है, जिसमें से 25 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	80,498
द्वितीय	92,867
तृतीय	74,198
चतुर्थ	97,968
पंचम	59,100

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी जनित नहीं होगा।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित तालाब से एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। तालाब से किये जाने वाले जल की उपयोगिता हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,422 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ

भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, साल, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदर्शित नक्शे में खदान के उत्तरी दिशा की सीमा में एक अन्य खदान अवस्थित है, जिसकी लीज सीमा लगी हुई अथवा ओव्हर लैप है। अतः उक्त स्थिति को स्पष्ट किये जाने हेतु उक्त दोनों खदानों के चिन्हाकंन/सीमाकंन अनुसार नक्शे में प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

20. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, जबकि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्रशर की स्थापना के प्रस्ताव का उल्लेख है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में क्रशर का उल्लेख करते हुये रिजर्व की गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

21. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1210/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–देवपुर) का क्षेत्रफल 2.68 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–देवपुर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 6.68 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat & CGWA for usage of water.

   iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and

2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has be done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit the revised approved mining plan with crusher area (If any) incorporating all the reserves calculation accordingly.

x. Project proponent shall submit the certificate from forest department for nearest distance between mine boundary to scantuary boundary.

xi. Project proponent shall submit a map showing both mine boundary with proper demarcation.

xii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए तथा प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

22. मेसर्स श्रीमती जया मंडावी (शेरपार ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–शेरपार, तहसील–मोहला, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1818)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 229338/2021, दिनांक 19/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–शेरपार, तहसील–मोहला, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 27/1 एवं 27/3, कुल क्षेत्रफल–2.104 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,00,000 टन (80,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भावेश कुमार बैद, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत शेरपार का दिनांक 25/07/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4877/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 16/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1415/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 16/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1592/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 28/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट, पुल एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1356/ख.लि.02/2021

राजनांदगांव, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 27/1 श्री पूनाराम, होल्झर, सक्तूराम, कन्हैया, बिसाराम, तिजोबाई, प्रमिला एवं खसरा क्रमांक 27/3 श्री घनश्याम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2021/6990 राजनांदगांव, दिनांक 28/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–शेरपार 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–शेरपार 0.9 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–शेरपार 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.16 कि.मी. दूर है। तालाब 0.45 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 15,78,000 टन (6,31,200 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 6,87,952 टन (2,75,181 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,53,555 टन (2,61,422 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,781 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 4,000 घनमीटर को 1 मीटर की ऊंचाई तक तथा शेष ऊपरी मिट्टी 6,000 घनमीटर को ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये भूमि में भंडारित किया जायेगा। भंडारण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	75,000
द्वितीय	2,00,000
तृतीय	2,00,000
चतुर्थ	2,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 94,000 रूपये, फेंसिंग, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,00,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
35	2%	0.70	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, **Village-Sherpar**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	0.30
			Total	**0.70**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्ष स्थित है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में कुल 17 वृक्ष (9 नग पलाश एवं 8 नग मुंधे) है। उक्त के संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा जारी प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1415/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 16/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–शेरपार) का रकबा 2.104 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्रीमती जया मंडावी (शेरपार ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी) की ग्राम–शेरपार, तहसील–मोहला, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 27/1 एवं 27/3 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.104 हेक्टेयर, क्षमता – 2,00,000 टन (80,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष [कुल 4 वर्षों में 6,53,555 टन (2,61,422 घनमीटर) से अधिक न हो] हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्रीमती जया मंडावी (शेरपार ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी) की ग्राम–शेरपार, तहसील–मोहला, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 27/1 एवं 27/3 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.104 हेक्टेयर, क्षमता – 2,00,000 टन (80,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष [कुल 4 वर्षों में 6,53,555 टन (2,61,422 घनमीटर) से अधिक न हो] हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तानुसार सी.ई.आर. संबंधी प्रस्ताव का अवलोकन कर उपयुक्त निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स एनकेजे बॉयोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, एनएच–30, ग्राम–रामहेपुर, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1525)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 59925/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1354/एस.ई. आई.ए.ए.,छ.ग./इण्ड./1525 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा सशर्त जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/11/2021 को सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1354/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./इण्ड. /1525 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स एनकेजे

बॉयोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामहेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–बुधवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित कार्यवाही अनुसार ईको पार्क निर्माण के लिये राशि रू. 2.40 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह के भीतर प्रस्तुत करने सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिविजनल मेनेजर, कवर्धा प्रोजेक्ट डिविजन, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, जिला–कबीरधाम को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (D.P.R.) तैयार करने हेतु चयनित क्षेत्र की सीमा संबंधी जानकारी के लिए प्रेषित पत्रों यथा दिनांक 12/10/2021 एवं 27/11/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, जिला–कबीरधाम से जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव निम्न है:–

ग्राम	तहसील	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
मजगांव	कवर्धा	237/1/बी	5.301
मजगांव	कवर्धा	267/2/ए	6.410
सगोना	कवर्धा	116/1	2.051
कुल			**13.762**

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव (D.P.R. with estimate) छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन से प्राप्त कर 1 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत प्राप्त शिकायत के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 66779/2020, दिनांक 19/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त शिकायत की प्रति दिनांक 08/10/2021 को प्रेषित किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

सरपंच, ग्राम पंचायत पिपरतराई, खरगहनी, खुरदुर, खरगहना, छेरकाबांधा, गोकुलपुर, भरारी, पथर्रा एवं उपसरपंच, ग्राम पंचायत खरगहनी द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 05/10/2021 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति पर आपत्ति बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आस–पास के सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों को आपत्ति है, क्योंकि कोल वॉशरी स्थापित किये जाने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे आस–पास के गांवों में निवासरत् लोगो के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।
- वॉशरी से निकलने वाले डस्ट के कारण किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी, पानी प्रदूषित होगा। सड़कों पर बड़ी वाहनों के आवागमन से भारी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहेगी।
- वॉशरी में कोयले को धोने हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया जाएगा जिससे उन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चला जाएगा, जिसके कारण पेयजल एवं खेतों में सिंचाई के साधनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पथर्रा एवं खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर से 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं हरिभूमि समाचार पत्र गांव में नहीं पहुँच पाता है, प्रकाशन दिनांक से 1 माह तक परियोजना के संबंध में सुझाव टीका टिप्पणीयां एवं आपत्तिया प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। जो कि हम ग्रामवासी पथर्रा एवं खरगहनी को छल करने के लिए अथवा खानापूर्ति करने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन के साथ ही पथर्रा एवं खरगहनी ग्राम पंचायत को पत्र के माध्यम से सूचनार्थ किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जानकारी के अभाव में प्रभावित ग्राम वासियों के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी।
- कुछ अज्ञात बाहरी व्यक्तियों द्वारा सहमति दर्ज कराई गई। जो कोल वॉशरी के मेनेजर द्वारा लाए गये बाहरी व्यक्ति थे। जिनके सहमति (समर्थन) को निरस्त (शून्य) घोषित किया जाए। क्योंकि वे सभी प्रभावित स्थल से लगभग 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बाहर रहने वाले व्यक्ति है। जो कि श्री प्रेमलाल साहू स्वयं को ग्राम भरारी का निवासी बताते हुये वॉशरी खुलने में सहमति दर्ज कराया है, जबकि भरारी के सरपंच का कहना है कि मेरे जानकारी अनुसार यह व्यक्ति ग्राम पंचायत भरारी का नहीं है। अतः यह पूर्णतः असत्य है। इस लिए

इस व्यक्ति द्वारा बॉशरी हेतु दिये गये सहमति को निरस्त (शून्य) घोषित किया जाए।

- जितने भी बाहरी व्यक्ति द्वारा बॉशरी के संबंध में समर्थन दर्ज कराया गया है। उनके नाम तथा पता इस प्रकार है श्री योगेश ग्राम–गनियारी, श्री राजेश कौशिक ग्राम–गोकुलपुर, श्री प्रेमलाल साहू ग्राम–मुण्डा भरारी, श्री धर्मेन्द्र केवट ग्राम–बेलटुकरी, श्री रामू साहू ग्राम–गनियारी यह सभी व्यक्ति बॉशरी में काम करने वाले मजदूर है। जिसे बॉशरी के मेनेजर द्वारा लाया गया था। जिसकी जॉच की जाए तथा इसका आधार कार्ड, राशन कार्य, परिचय पत्र की छायाप्रति ग्राम पंचायत पथर्रा एवं समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच को प्रदान किया जाए। समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्राम वासियों द्वारा किये गये विरोध आपत्तियों को प्राथमिकता दिया जाए एवं बॉशरी स्थापित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अन्यथा इसके स्थापना से 5 किलोमीटर के भीतर आने वाले 8 ग्राम पंचायतों के लगभग 50,000 हजार जनसंख्या के जन जीवन एवं स्थानीय जीव–जन्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त शिकायत की जॉच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स घाँठाद्वारी सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल), ग्राम–घाँठाद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1552)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 198140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स धौंताद्वारी **सेण्ड** स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल) की ग्राम–धौंताद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 425 में स्थित सेण्ड स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 33,037 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का वैधानिक जाँच बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी कम है।
- खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन की सीमा है।
- खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई पर उत्खनन किया जाना उल्लेखित है। जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।
- पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन को डम्प की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45^0 से अधिक ओवर बर्डन डम्प किया जाकर नियम विरूद्ध मिट्टी/मुरूम को क्रय किया जा रहा है। साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- वर्षा जल से सतही जल स्त्रोत प्रभावित न हो, को रोकने के लिए रिटर्निंग वॉल तथा गारलेण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।
- लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डम्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया है। पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इसी वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है।
- पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बार–बार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, जो कि नियम विरूद्ध है। अतः जाँच कराई जाए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त शिकायत की जाँच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय

उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़